सं. : 1:05:138:I:सीएस
दिनांक : 22.06.2026

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051	बीएसई लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी .जे .टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001

विषय: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड का नाम कंपनी रजिस्टर से हटाना एवं उसका विघटन

महोदय/ महोदया,

सूचित किया जाता है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड का नाम कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अंतर्गत कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या आरओसी/सी-पीएसीई/एसटीके-2/248(5)/2026-27/426 के माध्यम से कंपनी रजिस्टर से हटा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख किया जाता है कि बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड पीएफसी की कोई महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं थी। इसका गठन 30.06.2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में किया गया था, जिसका उद्देश्य बिहार राज्य में प्रस्तावित अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (बांका यूएमपीपी) से संबंधित विभिन्न लाइसेंस, भूमि आदि का स्वामित्व एवं धारण करना था। बाद में उक्त परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 27.11.2025 को कंपनी के समापन तथा कंपनी का नाम रजिस्टर से हटाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके उपरांत, कंपनी के समापन/ स्ट्राइक ऑफ हेतु आवश्यक दस्तावेज कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त स्वीकृति प्रदान की गई।

जानकारी एवं प्रसार हेतु।

धन्यवाद।

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनीष कुमार अग्रवाल)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
mk_agarwal@pfcindia.com